रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032020-218930
CG-DL-E-26032020-218930

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2020/चैत्र 6, 1942
No.74] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2020/CHAITRA 6, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसएसआर 06/2019)

विषयः चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इलेक्ट्रोनिक कैलकुलेटर्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/15/2019-डीजीटीआर.—

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 14/9/2013-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। प्राधिकारी ने उसके बाद चीन जन. गण. से संबद्ध

सामानों के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/9/2013-डीजीएडी अधिसूचित किए। वित्त मंत्रालय द्वारा पांच वर्षों के लिए दिनांक 29 मई, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे और वे 28 मई, 2020 तक लागू हैं।

2. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

".....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

3. मैसर्स अंजना एलएलपी (जिसे पूर्व में मैसर्स अंजना प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" कहा गया है) ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना की आरोप लगाते हुए अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र दायर किया और अगले पांच वर्षों के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

4. आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 24 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 7/15/2019-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

5. इस समीक्षा के क्षेत्र में दिनांक 13 अप्रैल, 2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2013-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं जिनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए सिफारिश की गई थी।

6. नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार वर्तमान जांच शुरू करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को अधिसूचित किया।

ख) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 7/15/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित की।

ग) प्राधिकारी ने भातर में संबद्ध सामानों के सभी ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ता एसोसिएशन को सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि वे पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

घ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास तथा ज्ञात निर्यातकों को आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ङ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना देने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं:

(i) केसियो ग्रुप

(ii) निंगबो ग्रुप

(iii) फुजियन ग्रुप

(iv) डोंगुआन केटीएल एंड केसिन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं. लि.

च) चीन जन. गण. से मैसर्स निंगबो डेली इम्पॉ. एंड एक्स. कं. लि., मैसर्स निंगबो डेली इलेक्ट्रॉनिक डेवलेपमेंट क. लि. और मैसर्स निंगबो डेली ग्रुप कं. लि. (निंगबो ग्रुप) ने भाग लिया और प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

छ) नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी:

(i) मैसर्स एडिक्ट क्लॉथ्स

(ii) मैसर्स क्लासिक सिस्टम

(iii) मैसर्स केसियो इंडिया कं. प्राइवेट लिमिटेड

(iv) मैसर्स हि जूम इंटरप्राइजेज

(v) मैसर्स मयूरेस इंडस्ट्रीज

(vi) मैसर्स मैरीन ट्रेडर्स

(vii) मैसर्स रोटोमेक ग्लोबल प्रा. लि.

(viii) मैसर्स यूनिटेक मीडिया

(ix) मैसर्स यसराज इंटरनेशनल

ज) किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तथापि, मैसर्स मयूरेस इंडस्ट्रीज ने जांच प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

झ) मैसर्स सेंजर इंडस्ट्रीज लि. ने जांच प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किया है कि उसने 2014 से कैलकुलेटरों का उत्पादन अथवा बिक्री बंद कर दी है।

ञ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। जब कभी उन्होंने सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण करने का अनुरोध किया तो उनसे दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई थीं।

ट) प्राधिकारी ने उचित जांच के बाद जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं जिसे सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था।

ठ) इसके अतिरिक्त आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।

ड) अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018 और जांच की अवधि को शामिल करते हुए क्षति विश्लेषण के साथ 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019 (12 माह) (जिसे यहां आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) के लिए जांच की गई थी।

ढ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा डीजी सिस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा सीमा शुल्क से पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था और वह सूचना डीजीसीआईएंडएस तथा डीजी सिस्टम से प्राप्त की गई थी और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए अपनाई गई है।

ण) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत और उत्पादन लागत निकालने के लिए नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर यथासंभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 9 जनवरी, 2020 को आयोजित मौखिक सुनवाई, जिसमें विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया था, में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। उन सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे उनके विचार लिखित अनुरोधों के रूप में दायर करने का अनुरोध किया गया था ताकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार उसके बाद प्रत्युत्तर दायर कर सकें।

थ) इस जांच प्रक्रिया के दौरान, जहां भी संगत पाया गया, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में हल कर दिया गया है।

द) दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 के पत्र द्वारा प्रस्तावित पीसीएन सिद्धांत के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। चूंकि, संबद्ध जांच में किसी भी दावेदार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अतः प्राधिकारी ने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के पत्र द्वारा संबद्ध सामानों के लिए पीसीएन सिद्धांत को अंतिम रूप दिया।

ध) इस जांच में अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण, जो वर्तमान अंतिम जांच परिणामों का आधार है, 06.03.2020 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था। घरेलू उद्योग से प्राप्त प्रकटन विवरण पश्चात अनुरोधों पर इन अंतिम जांच परिणामों में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।

न) इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

प) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.70 रुपए ली गई है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु</u>

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं:

क. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद वही है जो वर्तमान जांच में है अर्थात "इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स" है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 84701000 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. विचाराधीन उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर गणितीय प्रचालन करने तथा कतिपय अन्य गणितीय प्रकार्यों के लिए प्रयुक्त एक छोटा और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। साधारण अंकीय प्रचालनों में जोड़, घटा, गुणा और भाग जैसे आधारभूत गणितीय प्रचालन शामिल हैं। जटिल गणितीय प्रकार्यों में घातांक प्रचालन, मूल, लघुगणक, त्रिकोणमीतिय प्रकार्य और अतिश्योक्तिपूर्ण प्रकार्य आदि शामिल होते हैं।

ग. विभिन्न प्रकार के कैलकुलेटरों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. **<u>बेसिक/पॉकेट/डेस्कटॉप कैलकुलेटर:</u>** इस प्रकार के कैलकुलेटरों का प्रयोग जोड़, घटा, गुणा, भाग और प्रतिशत आदि जैसे सामान्य प्रचालनों के लिए किया जाता है। मानक अभिलक्षणों में 8 से 12 अंक का प्रदर्शन, विद्युत का दोहरा स्रोत (सौर विद्युत एवं बैट्री विद्युत) और प्लास्टिक/रबर की शामिल होते हैं। इस प्रकार के कैलकुलेटरों की प्रमुख कमजोरी यह होती है कि प्रयोक्ता परिकलन के दौरान गलत प्रविष्टि किए गए अंकों को ठीक अथवा समीक्षा नहीं कर सकते।

ii. **<u>चेक तथा करेक्ट कैलकुलेटर:</u>** बेसिक कैलकुलेटरों द्वारा निष्पादित प्रकार्यों के अलावा, चेक और करेक्ट कैलकुलेटर प्रयोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार अंक विशेष को ठीक करने, उसमें संशोधन करने और उसे हटाने की भी अनुमति देते हैं। चेक प्रकार्य से प्रयोक्ता परिकलनों के दौरान मूल्यों की समीक्षा कर सकते हैं और उन्हें बड़े परिकलन करते समय परिकलन की त्रुटियों को कम करने में मदद करते हैं।

iii. **<u>वैज्ञानिक कैलकुलेटर:</u>** वैज्ञानिक कैलकुलेटर विज्ञान, इंजीनियरी, सांख्यिकी और गणित में समस्याओं का परिकलन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। चार या पांच प्रकार्यों में बेसिक कैलकुलेटरों की तुलना में वैज्ञानिक कैलकुलेटरों में विनिर्माण एवं मॉडल के आधार पर 38 से 401 प्रकार्य हो सकते हैं। तथापि, वैज्ञानिक कैलकुलेटरों में सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

क) दोहरा प्रदर्श
ख) वैज्ञानिक नोटेशन
ग) आंशिक प्रचालन एवं द्विगुण परिकलन
घ) लघुगणक प्रकार्य
ङ) त्रिकोणमीतिय प्रकार्य
च) ई प्रकार्य एवं वर्गमूल से अधिक मूल
छ) षोडश आधारी द्विगुण, और अष्टाधारी परिकलन, आधारभूत बुलियन गणित सहित
ज) जटिल अंक
झ) सांख्यिकी एवं संभाव्य परिकलन
ञ) गणना
ट) इकाइयों का प्रवर्तन
ठ) भौतिक स्थिरताएं

वैज्ञानिक कैलकुलेटरों का प्रयोग किसी भी स्थिति में व्यापक रूप से किया जाता है जहां त्रिकोणमीतिय प्रकार्यों जैसे कुछ गणितीय प्रकार्यों के लिए तुरंत पहुँच की आवश्यकता होती है। उनका प्रयोग खगोल-विद्या, भौतिकी एवं रासायनिक में बहुत बड़े अंकों के परिकलनों के लिए अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाता है।

iv. **<u>प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स:</u>** प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आधारभूत रूप से वैज्ञानिक कैलकुलेटरों के उच्चस्तरीय मॉडल हैं जिनमें प्रयोक्ता विभिन्न कठिन समस्याओं को हल करने अथवा व्यापक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कैलकुलेटर में कार्यक्रम लिख सकते हैं अथवा स्टोर कर सकते हैं। वैज्ञानिक कैलकुलेटरों द्वारा निष्पादित आधारभूत प्रकार्यों के अलावा प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर में प्रोग्रामिंग का प्रकार्य भी होता है। प्रोग्रामिंग प्रकार्य से प्रयोक्ता प्रकार्यों को सृजित, संपादित और स्टोर कर सकता है। कार्यक्रमों के सृजन से जटिल प्रक्रिया को सामान्य करने में मदद मिलती है जो कि अन्यथा बहुत समय लेने वाली भी हो सकती है।

v. **<u>प्रिंटिंग कैलकुलेटर:</u>** प्रिंटिंग कैलकुलेटर किए गए परिकलनों का प्रिंट लेने के लिए पेपरटेप के साथ संलग्न छोटे प्रिंटर वाले होते हैं। इन कैलकुलेटरों का प्रयोग प्रायः व्यापारिक कार्यों में किया जाता है जहां कर का परिकलन, लागत परिकलन, बिक्री कीमत और लाभ मार्जिन आदि का परिकलन करने जैसी भारी संख्याएं होती हैं। प्रिंट लेकर गणितीय त्रुटियों को खोजना आसान हो जाता है।

vi. **<u>ग्राफिंग कैलकुलेटर:</u>** ग्राफिंग कैलकुलेटर (ग्राफिक्स/ग्राफिक कैलकुलेटर के रूप में भी ज्ञात) विशिष्ट रूप से वे कैलकुलेटर होते हैं जो ग्राफ्स और चार्ट बनाने, साथ-साथ समीकरणों को हल करने, आधारभूत तथा अग्रिम सांख्यिकीय परिकलन करने, लॉजिकल और मैट्रिक्स प्रचालनों, परिवर्तन एवं संयोजन, वित्तीय प्रचालन आदि में सक्षम होते हैं। कई ग्राफिंग कैलकुलेटर प्रोग्रामेबल भी होते हैं जिनसे प्रयोक्ता ग्राहक वाले कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। ग्राफिंग के आशय से उनके व्यापक प्रदर्शों के कारण वे एक ही समय में पाठ और परिकलनों की कई लाइनें भी ले सकते हैं। कुछ ग्राफिंग कैलकुलेटर कलर आउटपुट बनाने, गणित के प्लॉटों के एनिमेटेड एवं इंटरेक्टिव आरेख बनाने (2डी एंव 3डी), एनिमेटेड ज्यामीतिय प्रमेय आदि जैसे अन्य आंकड़े बनाने में भी सक्षम होते हैं।

8. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को ***<u>छोड़कर</u>***"सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" हैः

i. संलग्न प्रिंटरों वाले कैलकुलेटर, सामान्यतः ***प्रिंटिंग कैलकुलेटर*** के रूप में उल्लिखित;

ii. चार्ट और ग्राफ बनाने की क्षमता वाले कैलकुलेटर, सामान्य ***ग्राफिंग कैलकुलेटर*** के रूप में उल्लिखित;

iii. ***प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर।***

ग.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद (क) संलग्न प्रिंटरों वाले कैलकुलेटर, सामान्यतः प्रिंटिंग कैलकुलेटर के रूप में उल्लिखित; (ख) चार्ट और ग्राफ बनाने की क्षमता वाले कैलकुलेटर, सामान्य ग्राफिंग कैलकुलेटर के रूप में उल्लिखित; (ग) प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर को छोड़कर "सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" हैं।

10. यह एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में है। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित था:

"सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, (क) संलग्न प्रिंटरों वाले कैलकुलेटर, सामान्यतः प्रिंटिंग कैलकुलेटर के रूप में उल्लिखित; (ख) चार्ट और ग्राफ बनाने की क्षमता वाले कैलकुलेटर, सामान्य रूप से ग्राफिंग कैलकुलेटर के रूप में उल्लिखित; (ग) प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर को छोड़कर, वर्तमान जांच के क्षेत्र से अलग रखे गये हैं।"

11. पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारण के लिए उपयुक्त तुलना करने हेतु उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रणाली भी विकसित की गई है। अपनाई गई पीसीएन पद्धति तथा 04 नवंबर, 2019 को अंतिम रूप दी गयी पद्धति निम्नलिखित है:

क्रम सं.	क्षेत्र विवरण	व्याख्या
1.	प्रकार	यह उस श्रेणी का है जिस श्रेणी का कैलकुलेटर है: एस: वैज्ञानिक एन: गैर-वैज्ञानिक
2.	चेक एंड करेक्ट प्रकार्य	यह क्षेत्र कैलकुलेटर में चेक एंड करेक्ट का प्रकार्य दर्शाता है: 0: नो चेक एंड करेक्ट 1: चेक एंड करेक्ट मौजूद है
3.	प्रदर्श में अंकों की संख्या	यह क्षेत्र कैलकुलेटर में अंकों की संख्या दर्शाता है (12 से अधिक/बराबर अथवा 12 से कम) 12 अंक से कम : L 12 अंकों के बराबर एवं उससे अधिक: M
4.	सौर विद्युत	यह क्षेत्र यह दर्शाता है कि क्या कैलकुलेटर में सौर विद्युत ऊर्जा है: A: सौर विद्युत नहीं B: सौर विद्युत मौजूद है
5.	कैलकुलेटर का आकार	पॉकेट अथवा अन्य पॉकेट आकार का आयाम: 170 एमएम X 100 एमएम X 45 एमएम से अधिक नहीं पॉकेट आकार: P अन्य: O

12. "समान वस्तु" की परिभाषा के संबंध में नियम 2(घ) में विनिर्दिष्ट है कि "समान वस्तु" का अभिप्राय उस वस्तु से है जो हर प्रकार से जांचाधीन वस्तु के समान है अथवा अथवा उस वस्तु के अभाव में जांचाधीन वस्तु से मिलती-जुलती विशेषताओं वाली अन्य वस्तु के समान है।

13. "समान वस्तु" शब्द की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि "समान वस्तु" को हर मामले में जांचाधीन वस्तु के समान होना है। "समान वस्तु" शब्द के क्षेत्र में वे वस्तुएं भी शामिल होंगी जो हर प्रकार से समान वस्तुओं के अभाव में जांचाधीन वस्तुओं की विशेषताओं से बारीकी से मिलती-जुलती विशेषताओं वाली होंगी।

14. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी मानते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से भी करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।

15. यह नोट किया जाता है कि संबंधित उत्पाद के लिए एचएस कोड 84701000 है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात प्रशुल्क शीर्ष 8470 के तहत आने वाले अन्य एचएस कोडों के तहत भी किया जा रहा है। अतः आयात आंकड़ों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आवेदक ने शीर्ष 8470 के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम के लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं। उसके बाद, आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों में दी गई प्रत्येक लाइन की मद के लिए विवरण की जांच कर विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े छांटे हैं। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए आयात आंकड़ों की छंटनी का पूरा सत्यापन किया है। यह नोट किया जाता है कि प्रशुल्क शीर्ष 8470 के तहत किसी भी गैर-विचाराधीन उत्पाद पर विचार नहीं किया गया है अथवा वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए छांटे गए आयात आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार</u>

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स अजंता एलएलपी द्वारा दायर किया गया है। आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबद्ध है और न ही संबद्ध देश से किसी निर्यातक से संबद्ध है। आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात भी नहीं किया है। आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। अतः आवेदक आधार की अपेक्षा को पूरा करता है तथा नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।

ख) अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े बाजार आसूचना के आधार पर हैं। आवेदक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार अन्य उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े प्रतिनिधि कारक हैं और वास्तविक आंकड़ों में कोई भी विचलन वस्तुतः यह दर्शाएगा कि उनका वास्तविक उत्पादन उससे कम है जैसा कि आवेदक ने रूढ़िवादी आंकलन माना है।

ग) भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात मैसर्स सेंजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड था जिसका जांच की अवधि के दौरान बाजार आसूचना के आधार पर अनुमानित उत्पादन *** पीस (कुल भारतीय उत्पादन का ***) है।

घ.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

17. मैसर्स सेंजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यह उल्लेख करते हुए अनुरोध दायर किया है कि उन्होंने 2014 से आगे से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री बंद कर दी है।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

18. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार परिभाषित है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

19. वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन पत्र मैसर्स अजंता एलएलपी द्वारा दायर किया गया है। आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबद्ध है और न ही संबद्ध देश से किसी निर्यातक से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। आवेदक ने आरंभ में यह अनुरोध किया था कि बाजार आसूचना

के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों का अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात मैसर्स सेंजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तथापि, मैसर्स सेंजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 के पत्र द्वारा यह अनुरोध किया है कि उन्होंने 2014 से संबद्ध सामानों का उत्पादन करना बंद कर दिया है। इस प्रकार, आवेदक जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों का एक मात्र उत्पादक है।

20. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और मानते हैं कि आवेदन पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता और अन्य मुद्दे

ङ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. गोपनीयता और अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक जांच की अवधि में एक मात्र उत्पादक है और इस प्रकार उत्पादन, बिक्री आदि जैसे मात्रात्मक मानदंडों के संदर्भ में भी उसकी सूचना प्रकट नहीं की गई है क्योंकि वह सार्वजनिक पटल पर नहीं है। ऐसी अत्यधिक व्यापार संवेदनशील सूचना का प्रकटन प्रतिस्पर्द्धियों और उपभोक्ताओं के लिए काफी प्रतिस्पर्द्धी लाभ की होगी और इससे आवेदक के हित पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तथापि, आवेदक ने जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना प्रदान की है।

ख. आवेदक ने जांच की शुरूआत का औचित्य बनाते हुए पर्याप्त सूचना दी है। आवेदक ने आवेदन प्रपत्र के तहत अपेक्षित सभी सूचना प्रदान की है। जहां तक लेख में कतिपय मानदंडों के मूल्यांकन की विफलता का संबंध है, आवेदक का अनुरोध है कि आवेदक के लिए आवेदन पत्र में सभी मानदंडों का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है। आवेदक का दायित्व सभी संगत सूचना देना है जो उसने किया है।

ग. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े गोपनीय आंकड़े हैं, अतः उन्हें परिचालित नहीं किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से लेन-देन वार आंकड़े प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि वे ऐसा चाहते हों। दिनांक 08 दिसंबर, 2017 की व्यापार सूचना फा. सं. 4/2/2017 का संदर्भ दिया जाता है।

घ. निंगबो ग्रुप ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 द्वारा गोपनीयता की सूचना के संदर्भ में प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन किया है। आवेदक ने उपर्युक्त कमियों का उल्लेख करते हुए दिनांक 03 जनवरी, 2020 के पत्र द्वारा प्राधिकारी के समक्ष विस्तृत अनुरोध दायर किए हैं।

ङ. आवेदक ने अनुरोध किया कि उन्होंने नियमावली के नियम 7 और 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर में सूचीबद्ध रूप में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

च. जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना प्रदान की गई है। क्षति विश्लेषण अनिवार्य रूप से प्रवृत्ति का विश्लेषण है जिसे आवेदन पत्र में दिए गए विभिन्न मानदंडों की विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है।

ङ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. गोपनीयता और अन्य मुद्दों के संबंध में निंगबो ग्रुप द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

क. आवेदन पत्र का अगोपनीय रुपांतर आरोपों को उपयुक्त रूप से समझने के लिए अनुमति नहीं देता और स्पष्ट रूप से प्राधिकारी द्वारा जारी 09 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना संख्या 1/2013 तथा नियमावली के नियम 7 में निर्धारित अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है। यह आवेदन पत्र में निहित आरोपों की उपयुक्त समझ को रोकता है अथवा पक्षकार के रक्षा करने के अधिकार को कार्यान्वित करता है।

ख. आवेदक ने चीन जन. गण. में उपलब्ध उत्पादन क्षमता तथा प्रवृत्तियां रिपोर्ट करने के लिए चीन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बाजार सर्वेक्षण एवं निवेश संभावना पूर्वानुमान रिपोर्ट पर विश्वास किया है। तथापि, दस्तावेजों को इस आधार पर गोपनीय रखा गया है कि वह व्यापार स्वामित्व/संवेदनशील सूचना है, सार के लिए संशोधनीय नहीं है। इन आंकड़ों के अभाव में हितबद्ध पक्षकार उस पर टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

ग. आवेदक ने मूल जांच में क्षमता उपयोग के वास्तविक आंकड़े प्रकट किए हैं, परंतु वर्तमान जांच में उन्हें रोके रखा है।

घ. वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने दिनांक 04 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 7/15/2019 द्वारा पीसीएन सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया, परंतु आवेदक ने कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के लिए सूचना प्रदान करते समय सिद्धांत के अनुसार उसे तैयार अथवा संशोधित नहीं किया है।

ङ. कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता प्रति दिन के वास्तविक आंकड़े न देकर आवेदक द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।

ङ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।"

24. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर नियम 6(7) के अनुसार सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 <u>सामान्य मूल्य</u>

26. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत जब वह उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र से या किसी उपर्युक्त तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में यथा-निर्धारित, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

27. सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन को पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा ली गई स्थिति के अनुरूप गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता।

ख. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 तब तक चीन जन. गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु लागू नहीं होते जब तक उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य के साथ यह न दर्शाए कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाली स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य का परिकलन निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित किया जाए:

i. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत

ii. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित लागत

iii. उस तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत

iv. भारत में वास्तव में दी गई कीमत, लाभ की उपयुक्त राशि शामिल करने के लिए समायोजित

ग. आवेदक ने संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय तथा उपयुक्त लाभ की राशि जोड़कर भारत में संबद्ध सामानों की निर्मित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया है।

च.3 <u>निंगबो ग्रुप द्वारा किए गए अनुरोध</u>

28. सामान्य मूल्य के संबंध में निंगबो ग्रुप द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

क. आवेदक ने चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है जो कि 11 दिसंबर, 2016 से डब्ल्यूटीओ में चीनी अभिगम नयाचार की समाप्ति के आलोक में भ्रामक है।

ख. प्राधिकारी को बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन. गण. को "बाजार अर्थव्यवस्था स्तर" प्रदान करना चाहिए और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन करना चाहिए।

च.4 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

<u>चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर</u>

29. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: *"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:*

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

30. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, 11.12.2016 को अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान की अवधि समाप्त हो गई है, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि किसी भी प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

31. तद्नुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है:

च.5 <u>सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

32. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। रिकार्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में, अन्य पद्धतियों के संबंध में, जैसा कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित है, प्राधिकारी ने "किसी भी अन्य उपयुक्त आधार", पर पद्धति पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

33. अतः प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों, उपयुक्त लाभ सहित विधिवत समायोजित, भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। तद्नुसार, चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत निर्मित सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति पीस निर्धारित किया गया है।

च.5 <u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

क) निंगबो ग्रुप

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निंगबो डेली इम्पॉ. एंड एक्सपो. कं. लि., चीन जन. गण., चीन जन. गण. की कंपनी है जिसने संबद्ध सामानों के उत्पादक निंगबो डेली इलेक्ट्रॉनिक डेवलेपमेंट कं. लि. से लिए गए संबद्ध सामानों का भारत को निर्यात किया है तथा निर्यातक और उत्पादक दोनों ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निंगबो डेली इम्पॉ. एंड एक्सपो. कं. लि., चीन जन. गण. ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अपेक्षित सूचना दी है। प्राधिकारी संबंधित उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली से नोट करते हैं कि उसने *** अमेरिकी डॉलर प्रति पीस की औसत सीआईएफ कीमत पर जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों के *** पीस के निर्यात वाले 27 लेन-देनों की सूचना दी थी। प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक द्वारा दावा किए गए अनुसार अंतर्देशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, समुद्री भाड़ा, बीमा, नकद ऋण, बैंक प्रभार और व्यापारियों के एसजीए के निमित्त समायोजन किए। तद्नुसार, निंगबो डेली इम्पॉ. एंड एक्सपो. कं. लि., चीन जन. गण. के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर प्रति पीस निर्धारित की गई है।

ख) <u>असहयोगी उत्पादक/निर्यातक</u>

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

37. उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्मित सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/पीस)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/पीस)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/पीस)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
1	चीन जन. गण.	निंगबो डेली इलेक्ट्रॉनिक डेवलेपमेंट कं. लि.	***	***	***	***	0-20
2	चीन जन. गण.	कोई अन्य	***	***	***	***	20-40

छ. <u>क्षति का मूल्यांकन एवं कारणात्मक संपर्क</u>

38. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है की कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

39. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा के मामले में यथा-आवश्यक संशोधन के साथ लागू होंगे।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन पत्र मैसर्स अजंता एलएलपी द्वारा दायर किया गया है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक को इस जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग माना गया है। अतः क्षति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवेदक की लागत एवं क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

छ.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

41. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थेः

क. भारत में आ रहे कम कीमत के पाटित आयातों के कारण काफी कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री है। भारत में आ रहे कम कीमत के पाटित आयातों के कारण काफी कीमत न्यूनीकरण है।

ख. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अत्यधिक प्रभावित हुई है। 2015-16 में 100 सूचीबद्ध यूनिटों के कुल घरेलू लाभ से लाभ जांच की अवधि में काफी (347) सूचीबद्ध यूनिट तक कम हुए हैं।

ग. 2016-17 में 138 सूचीबद्ध यूनिटों के नकद लाभ से नकद लाभ, जांच की अवधि में काफी (23) सूचीबद्ध यूनिटों तक कम हुआ है।

घ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) में 2015-16 में 100 सूचीबद्ध यूनिटों से जांच की अवधि के दौरान (79) सूचीबद्ध यूनिटों तक काफी गिरावट आई है।

ङ. घरेलू उद्योग की मालसूची 2015-16 में 100 सूचीबद्ध यूनिट थी, वह उत्पादन में कमी के बावजूद जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़कर 605 सूचीबद्ध यूनिटों तक हो गई।

च. आयातों की कीमतें लागत में तद्नुरूपी गिरावट के बिना काफी कम हुई हैं।

छ. आयातों की कीमतें केवल बिक्री कीमत से कम ही नहीं रहीं बल्कि बिक्री लागत से भी कम रहीं। आयातों की कीमत और बिक्री लागत के बीच अंतराल पूरी क्षति अवधि में बढ़ रहा है।

ज. घरेलू उद्योग में काफी अनुपयुक्त क्षमता है।

झ. संबद्ध देश से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन केवल न्यूनतम से अधिक ही नहीं है बल्कि काफी भी है। घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव बहुत अधिक है।

छ.2 <u>निंगबो ग्रुप द्वारा किए गए अनुरोध</u>

42. निंगबो ग्रुप ने घरेलू उद्योग के क्षति तथा कारणात्मक संपर्क के दावों और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक के समग्र निष्पादन में सुधार हो रहा है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं हो सकती।

ख. आवेदक की घरेलू बिक्री 2015-16 में 100 सूचकांकों से काफी बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 129 सूचकांक तक हुई। इसके विपरीत, भारत में संबद्ध सामानों की मांग में 100 सूचकांक से घटकर जांच की अवधि में 86 सूचकांक तक गिरावट आई।

ग. चीन जन. गण. से आयात भी जो आधार वर्ष में 100 सूचकांक थे, वे काफी कम होकर जांच की अवधि में 9 सूचकांक रह गए।

घ. प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार के अनुच्छेद 5.3 के तहत पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन प्राधिकारी के समक्ष सभी संगत साक्ष्य की जांच के आधार पर होगा। आवेदक कई नाजुक मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिसका घरेलू उद्योग पर स्वतंत्र रूप से प्रभाव था।

ङ. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न, ड्राई सेल बैट्रीज और विस्कोस फिलामेंट यार्न के मामले में जांच परिणामों पर विश्वास किया गया है।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

43. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा पूर्ण दृष्टि से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

44. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान समीक्षा के मामले में भी आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे। अतः प्राधिकारी ने अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर आवश्यक संशोधन के साथ विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति निर्धारित की है। अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाएं। "पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

45. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"

46. वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव तथा पाटन एवं क्षति, यदि कोई है, के बीच क्षति एवं कारणात्मक संपर्कों की मौजूदगी की जांच करने के लिए कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निंगबो ग्रुप द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।

47. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की जांच की है।

झ. मांग का मूल्यांकन

48. इस प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की मात्रा तथा सभी स्रोतों से आयातों के रूप में ली गई है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भारत में मांग/खपत में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
चीन जन. गण. से आयात	पीस	40,83,861	2,48,761	10,09,951	3,77,647
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	6	25	9
अन्य देशों से आयात	पीस	5,932,195	5,949,865	7,166,231	7,191,013
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	121	121
कुल आयात	पीस	1,00,16,056	61,98,626	81,76,182	75,68,660

विवरण	**यूनिट**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जांच की अवधि**
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	62	82	76
आवेदक की घरेलू बिक्री	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	131	121	129
कुल मांग	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	89	85
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग का हिस्सा %	%	***	***	***	***
सूचकांक	सूचकांक	100	178	139	156
चीन जन. गण. से आयात का हिस्सा	%	***	***	***	***
सूचकांक	सूचकांक	100	9	27	12
अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
सूचकांक	सूचकांक	100	135	138	144

II. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. आयात मात्रा तथा संबद्ध देश का हिस्सा

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश और अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा की जांच की है। संबद्ध सामानों की आयात मात्रा तथा क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नलिखित है:

विवरण	**यूनिट**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**जांच की अवधि**
चीन जन. गण. से आयात	पीस	40,83,861	2,48,761	10,09,951	3,77,647
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	6	25	9
अन्य देशों से आयात	पीस	5,932,195	5,949,865	7,166,231	7,191,013
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	121	121
कुल आयात	पीस	**10,016,056**	**6,198,626**	**8,176,182**	**7,568,660**
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	62	82	76
कुल आयात के संबंध में संबद्ध देश से आयात	पीस	41%	4%	12%	5%
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	10	30	12
कुल भारतीय उत्पादन	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	163	117	112
उत्पादन के संबंध में चीन जन. गण. से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	4	21	8
मांग	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	89	85
भारत में मांग के संबंध में चीन जन. गण. से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	8	28	11

50. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद पूर्ण दृष्टि से तथा सापेक्ष दृष्टि से कम हुए हैं।

III. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

51. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, प्राधिकारी को कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित है।

i. <u>कीमत कटौती</u>

52. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है। इस संबंध में, संबद्ध देश से उत्पाद के पहुँच मूल्य तथा घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच व्यापार के समान स्तर पर निवल सभी छूटों एवं करों को लेकर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
आयात मूल्य	पीस	4,083,861	248,761	1,009,951	377,647
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	6	25	9
पहुँच कीमत	रु./पीस	56	192	133	78
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	342	237	139
भाड़े को छोड़कर घरेलू बिक्री कीमत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	76	75
कीमत कटौती	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(108)	(58)	21
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	रेंज	110-120	(30-40)	(30-40)	10-20

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयात जांच की अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु की घरेलू बिक्री कीमतों की काफी कीमत कटौती कर रहे हैं। इतनी अत्यधिक कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत वसूली करने तथा आय की उपयुक्त दर अर्जित करने के लिए अपनी बिक्री कीमतों को बढ़ाने में असमर्थ है।

ii. कम कीमत पर बिक्री

54. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए औसत एनआईपी के आधार पर निर्धारित एनआईपी की तुलना डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से प्राप्त आयातों की पहुँच कीमत से की गई है। आयातों की भारित औसत पहुँच कीमत से घरेलू उद्योग की एनआईपी की तुलना निम्नलिखित दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	औसत एनआईपी के आधार पर
आयात	पीस	377647
पहुँच कीमत	रु./पीस	78
एनआईपी	रु./पीस	***
क्षति मार्जिन	रु./पीस	***
क्षति मार्जिन	%	***
प्रवृत्ति	रेंज	40-60

55. यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री हुई है।

iii. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने तथा कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए है जो कि काफी मात्रा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों और पहुँच मूल्य में परिवर्तनों पर विचार किया है। स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
निर्माण तथा बिक्री की लागत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	87	94
घरेलू बिक्री कीमत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	95	76	75
पहुँच मूल्य	रु./पीस	56	192	133	78
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	342	237	139

57. उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित बातें नोट की जाती हैं:

क. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम कीमतों पर आ रहे हैं। परिणामस्वरूप, पाटित आयात घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत नहीं लेने दे रहे हैं जो कि उसकी पूर्ण लागत तथा उपयुक्त लाभ मार्जिन वसूल करेगी।

ख. निर्माण तथा बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 6 सूचकांक तक कम हुई है जबकि घरेलू बिक्री कीमत उसी अवधि के दौरान 25 सूचकांक तक काफी कम हुई है।

छ.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव</u>

58. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

क) <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं बिक्री</u>

59. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
क्षमता	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
उत्पादन	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	163	117	112

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	163	117	112
घरेलू बिक्री	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	131	121	129

60. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में उपलब्ध क्षमता का काफी हिस्सा अनुपयुक्त है।

ख) लाभ, नियोजित पूंजी पर आय एवं नकद लाभ

61. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकद लाभ तथा निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
लाभ/(हानि)	रु./पीस	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	78	(22)	(90)
लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	(27)	(116)
पीबीआईटी	रु. लाख	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	107	(22)	(105)
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	138	32	(23)
आरओआई	%	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	89	(19)	(79)

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग लाभ, ब्याज पूर्ण लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

ग) <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

63. बाजार पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	178	139	156
संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
सूचकांक	सूचकांक	100	9	27	12
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
सूचकांक	सूचकांक	100	135	138	144

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2016-17 में सुधार हुआ है और उसके बाद जांच की अवधि में पुनः आंशिक रूप से सुधार होने से पूर्व 2017-18 में गिरावट आई।

घ) <u>रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता</u>

65. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	139	86	119
उत्पादन/कर्मचारी	प्रति कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	117	135	94
उत्पादन	प्रति दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	163	117	112

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार में 2016-17 में सुधार हुआ और उसके बाद 2017-18 में गिरावट आई, परंतु जांच की अवधि में आंशिक रूप से सुधार हुआ। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ङ) मालसूची

67. संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
प्रारंभिक स्टॉक	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	957	839
अंतिम स्टॉक	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	1,002	879	361
औसत स्टॉक	पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	538	919	605

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में मालसूची का स्तर जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में बढ़ा है।

च) <u>पाटन की मात्रा</u>

69. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात देश में पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और पाटन का मार्जिन न्यूनतम सीमाओं से अधिक तथा काफी है।

छ) <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

70. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता काफी अनुपयुक्त है और उद्योग को हानियां हो रही हैं। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता कमजोर हुई है।

ज) <u>वृद्धि</u>

71. घरेलू उद्योग की वृद्धि से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वृद्धि	यूनिट	2015-16	2016-17	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	वर्ष/वर्ष %	-	63	(28)	(4)
घरेलू बिक्री	वर्ष/वर्ष %	-	31	(8)	7
बिक्री की लागत	वर्ष/वर्ष %	-	(2)	(11)	8
बिक्री कीमत	वर्ष/वर्ष %	-	(5)	(21)	(1)

वृद्धि	यूनिट	2015-16	2016-17	2018-19	जांच की अवधि
लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष %	-	2	(126)	(337)
आरओआई	वर्ष/वर्ष %	-	(1)	(7)	(4)
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष %	-	38	(77)	(171)

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकतर प्रमुख आर्थिक मानदंड संबद्ध देश और मलेशिया जैसे अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण काफी ह्रास दर्शाते हैं।

झ) <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

73. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों को छोड़कर, वे कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा क्षति रहित कीमत से कम है, जो भारतीय बाजार में कीमत कटौती कर रही है तथा कम कीमत पर बिक्री हो रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों के बीच चलनी चाहिए और घरेलू उद्योग इन इनपुट कीमतों और आयातों की पहुँच कीमत पर विचार करते हुए अपनी कीमतें निर्धारित करता रहा है। इस प्रकार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू कीमतों के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

ज) क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन

74. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। भारित औसत क्षति रहित कीमत पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटियों में वही व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है और उसी उत्पादन पर प्रति यूनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय उत्पादन लागत में परिवर्तित नहीं किए गए थे। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के दौरान एनआईपी निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

75. चीन जन. गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।

76. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्रम सं.	देश	उत्पादन	एनआईपी अमेरिकी डॉलर/पीस	पहुंच कीमत अमेरिकी डॉलर/पीस	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर/पीस	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज- %
1	चीन जन. गण.	निंगबो डेली इलेक्ट्रॉनिक डेवलेपमेंट कं. लि.	***	***	***	***	0-20
2	चीन जन. गण.	कोई अन्य	***	***	***	***	20-40

झ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात संबद्ध आयातों पर निश्चायत्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी काफी मात्रा में जारी हैं। उत्पाद के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यद्यपि उत्पादन लागत क्षति की अवधि में कम हुई है, तथापि बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन लागत की तुलना में अधिक है। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं और कीमतों में वृद्धि को रोक रहे हैं जो कि पाटित आयातों के अभाव में अन्यथा हुई होती।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को आयातों के कीमत प्रभाव तथा मात्रा के कारण क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में भी लाभ की प्रवृत्ति की तरह वही प्रवृत्ति रही। नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ, दोनों जांच की अवधि में नकारात्मक रहे। इस प्रकार, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, मालसूची आदि जैसे अधिकतर मानदंडों के संबंध में वृद्धि घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाती है। प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ञ. पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

ञ.1 घरेलू द्वारा किए गए अनुरोध

79. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से निर्यातकों द्वारा और गहन किए जा रहे सतत पाटन की स्पष्ट संभावना है जिससे यदि मौजूदा शुल्क वापस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को और भी अधिक क्षति की स्थिति बनेगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी सतत पाटन

80. यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद चीन जन. गण. से पाटित आयात आने जारी हैं। यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो चीन जन. गण. से भारत में आ रहे पाटित आयातों की मात्रा काफी बढ़ने की पूरी संभावना है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि चीन जन. गण. से भारत में आ रहे आयात न्यूनतम स्तर से अधिक हैं और पाटन मार्जिन अत्यधिक हैं।

ख. घरेलू उद्योग को आयात कीमतों से मेल करने और तदनुसार लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर किया गया है

81. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद निरंतर क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा पेश की गई कीमतों पर समान वस्तु की बिक्री करने के लिए मजबूर किया गया है। घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण अपनी उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने में असमर्थ है।

82. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, आवेदक निरंतर लाभप्रदता बनाए रखने में असमर्थ रहा है। यह तथ्य कि आवेदक को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद क्षति हुई है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहेगी और उसमें वृद्धि होने की संभावना है ।

ग. चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास भारी क्षमताएं

83. आवेदक ने बीजिंग झोंझिलिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कं. लि. द्वारा किए गए चीन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बाजार सर्वेक्षण तथा निवेश संभावना पूर्वानुमान रिपोर्ट प्राप्त की है। इस रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. के पास संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए भारी उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। ये क्षमताएं चीन जन. गण. में कुल खपत से बहुत ही अधिक हैं। चीन जन. गण. में उपलब्ध क्षमता नीचे दी गई है:

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमता	मिलियन पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	106	108

घ. <u>चीन जन. गण. में बेकार क्षमता और क्षमता उपयोग में गिरावट</u>

84. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बेकार क्षमता के ब्यौरे, जो कैलकुलेटर संबंधी बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट से लिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमता	मिलियन पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	106	108
उत्पादन	मिलियन पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	102	106
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	95	96	98
बेकार क्षमता	मिलियन पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	140	133	127

85. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि चीनी कैलकुलेटर उद्योग में वहां उपलब्ध अत्यधिक बेकार क्षमता है जिसे यदि प्राधिकारी द्वारा लागू पाटनरोधी शुलक हटाया जाता है, तो भारत को निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

86. नीचे दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. में कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में 3800 प्रतिशत अप्रयुक्त क्षमता (2018 में) थी। चीन जन. गण. के पास कुल भारतीय मांग की तुलना में 905 प्रतिशत अप्रयुक्त क्षमता (2018 में) थी। इस अप्रयुक्त क्षमता से उत्पादन शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारत को आसानी से निर्यात किया जा सकता है:

विवरण	यूओएम	मूल्य
बेकार क्षमता	मिलियन पीस	***
कुल भारतीय उत्पादन	मिलियन पीस	***
कुल भारतीय मांग	मिलियन पीस	***
कुल भारतीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में चीनी बेकार क्षमता	रेंज	3500-4500%
कुल भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में चीनी बेकार क्षमता	रेंज	500-1000%

ङ. <u>निर्यात में गिरावट</u>

87. आवेदक के पास उपलब्ध चीन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बाजार सर्वेक्षण एवं निवेश संभावना पूर्वानुमान रिपोर्ट और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीन जन. गण. से अन्य देशों को संबद्ध सामानों के निर्यात में 2014 में *** मिलियन से 2019 में *** मिलियन तक गिरावट आई है। ऐसे परिदृश्य में चीन जन. गण. के उत्पादकों को अपने अतिरिक्त उत्पादन का निपटान करने के लिए वैकल्पिक बाजारों की ओर देखना है। भारत चीनी उत्पादकों के लिए एक प्राकृतिक विकल्प होगा क्योंकि भारत में मांग निकट भविष्य में अत्यधिक रहेगी। अतः इसकी पूरी संभावना है कि चीनी उत्पादक अपना अतिरिक्त उत्पादन बेचने के लिए अपनी कीमतें और कम करेंगे जिससे पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारत में घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

च.2 <u>निंगबो ग्रुप द्वारा किए गए अनुरोध</u>

88. आवेदक ने दावा किमया है कि चीनी कैलकुलेटर उद्योग में 127 सूचकांक अंकों की अप्रयुक्त क्षमता तथा 98 सूचकांक का क्षमता उपयोग है जो यह दर्शाएगा कि शुल्क हटाए जाने की स्थिति में चीन जन. गण. से निर्यात बढ़ेंगे। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि इस अतिरिक्त क्षमता की स्थिति में चीन जन. गण. वैकल्पिक बाजारों की खोज करेगा और भारत एक स्वाभाविक विकल्प होगा जिससे भारत में घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। निंगबो इन दावों का आधारहीन और असिद्ध होने के रूप में खंडन करता है और अनुरोध करता है कि उनका क्षमता उपयोग 83 प्रतिशत है।

89. उत्पादक/निर्यातक भारत को 100 सूचकांक के विपरीत 150 सूचकांक की कीमत पर तीसरे देशों को संबद्ध सामानों का निर्यात कर रहे हैं। इस प्रकार, भारत को निर्यात भेजने की कोई संभावना नहीं है।

90. दी गई सूचना नियमावली के नियम 5(3) के तहत किसी जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। प्रस्तुत साक्ष्य "पर्याप्त साक्ष्य" होने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता का होना चाहिए। कनाडा से यूनाइटेड स्टेट्स-सॉफ्टवुड लंबर; ग्वाटेमाल-सीमेंट-II और मैक्सिको-स्टील पाइप्स तथा ट्यूब्स मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल के निर्णय पर भरोसा किया गया है । आवेदन नियमावली के नियम 11 और उसके अनुबंध-II के पैरा IV में सूचीबद्ध कुछ संगत आर्थिक कारकों और तत्वों का मूल्यांकन करने में विफल रहा।

<u>अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

91. प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन और अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

92. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क निरंतर जारी रखना आवश्यक है। इसके लिए इस पर भी विचार करना अपेक्षित है कि क्या लगाया गया शुल्क क्षतिकारक पाटन समाप्त करने के अपेक्षित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। इस प्रकार के संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर वास्तविक क्षति के खतरे का मूल्यांकन करने के लिए विचार किए जाने की आवश्यकता होती है। इन कारकों पर प्राधिकारी द्वारा पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करते समय निरंतर विचार किया गया है।

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा

(घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।

93. इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्त का पाटन जारी है ।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में वर्तमान पहुँच कीमत पर जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक कीमत कटौती है और आयात घरेलू उद्योग के लिए कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास कर रहे हैं।

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए भारी उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। चीनी कैलकुलेटर उद्योग में अत्यधिक बेकार क्षमता उपलब्ध है जिसका उपयोग भारत को उनके निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

96. संभावना विश्लेषण इस स्थिति को बताता है कि संबद्ध देश से निर्यातक पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं। मूल जांच में भी पाटन मार्जिन अत्यधिक था। अतः सभी कारकों पर विचार करते हुए प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मौजूदा शुल्क हटाए जाने पर पाटन में वृद्धि होगी ।

<u>अ.4 अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संपर्क</u>

97. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को पाटन और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच के लिए नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों को नोट किया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं।

क) संबद्ध तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात की काफी मात्रा भारत में मलेशिया, फिलीपींस और थाइलैंड से आ रही हैं। प्राधिकारी ने मलेशिया से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के संबंध में समांतर पाटनरोधी जांच का निष्कर्ष निकाला है और मलेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। फिलीपींस और थाइलैंड से आयात कीमतें मलेशिया और चीन जन. गण. से आयात कीमतों से काफी अधिक हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि चीन जन. गण. और मलेशिया को छोड़कर अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं।

ख) निर्यात निष्पादन

99. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति पूर्णतः घरेलू प्रचालनों के कारण है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर निर्यातों का कोई प्रभाव नहीं है।

ग) प्रौद्योगिकी

100. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के रूप में भी प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में संभावित विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

101. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

102. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

च) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

103. आवेदक द्वारा उत्पादित किए जा रहे तथा बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा दी गई निष्पादन संबंधी सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद से ही संबंधित है।

ट. कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

104. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में संबद्ध देश से पाटित आयातों के जारी रहने के कारण ह्रास हुआ है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध है:

i. पाटित आयातों से हो रही कीमत कटौती से घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि रुकी है जो अन्यथा हुई होती।

ii. संबद्ध देश से पाटित आयातों के न्यूनीकरण प्रभाव से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग को काफी मांग की मौजूदगी तथा देश में क्षमताओं के बावजूद उसका उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा बढ़ाने से रोका गया है।

iv. लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट प्रत्यक्ष रूप से पाटित आयातों का ही परिणाम है।

v. घरेलू उद्योग की वृद्धि बिक्री कीमत, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जैसे कई आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में नकारात्मक हो गई ।

ठ. प्रकटन पश्चात अनुरोध

105. प्रकटन पश्चात के अनुरोध केवल घरेलू उद्योग से प्राप्त हुए हैं।

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

106. प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, घरेलू उद्योग के आधार, पाटन विश्लेषण, क्षति विश्लेषण और पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना के विश्लेषण के संबंध में प्रकटन विवरण में किए गए अपने प्रस्ताव की पुष्टि इस जांच परिणाम में करने का अनुरोध किया है।

ठ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से इस जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, घरेलू उद्योग के आधार, पाटन विश्लेषण, क्षति विश्लेषण और पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना के विश्लेषण के संबंध में उनकी जांच की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने उपर्युक्त संगत पैराओं में विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग के आधार, पाटन विश्लेषण, क्षति विश्लेषण और पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना के विश्लेषण के संबंध में अपनी जांच की पुष्टि की है।

ड. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ढ. निष्कर्ष

109. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा इन जांच परिणामों में रिकार्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है और शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर आयात भारतीय बाजार में आने की संभावना है।

ख. चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ग. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क इस स्तर पर बंद करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन एवं क्षति जारी रहने की संभावना है।

घ. यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि इस स्तर पर पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहेगी।

ण. सिफारिश

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति, पाटन एवं क्षति की संभावना तथा कारणात्मक संपर्क के पहलुओं सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

111. यह निष्कर्ष निकालने पर कि यदि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क बंद करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क, पाटन एवं क्षति की संभावना के पहलू के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों पर शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है।

112. इन परिस्थितियों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त समझते हैं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उन विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों को शुल्क की अलग-अलग दर प्रदान करने की सिफारिश नहीं की है जिन्हें मूल जांच में शुल्क की अलग दर प्रदान की गई थी, परंतु जिन्होंने संबद्ध निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, प्राधिकारी

नीचे दी गई शुल्क तालिका में संबद्ध देश से संबद्ध वसतु के सभी आयातों पर यथा संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	8470*	इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स **	चीन. जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	निंगबो डेली इलैक्ट्रॉनिक डेवलेपमेंट कं. लि.	0.28	अमेरिकी डॉलर	प्रति पीस
2.	8470	इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स **	चीन. जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	निंगबो डेली इलैक्ट्रॉनिक डेवलेपमेंट कं. लि. को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	1.22	अमेरिकी डॉलर	प्रति पीस
3.	8470	इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स **	चीन. जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन. जन. गण.	कोई भी	1.22	अमेरिकी डॉलर	प्रति पीस

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। उपर्युक्त विचाराधीन उत्पाद उस समय भी उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन होना चाहिए जब उसका आयात किसी अन्य एचएस कोड के तहत किया जाए।

** विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर "सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" है:

क) संलग्न प्रिंटरों वाले कैलकुलेटर, सामान्यतः *प्रिंटिंग कैलकुलेटर* के रूप में उल्लिखित;

ख) चार्ट और ग्राफ बनाने की क्षमता वाले कैलकुलेटर, सामान्य *ग्राफिंग कैलकुलेटर* के रूप में उल्लिखित;

ग) *प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर।*

त. आगे की प्रक्रिया

113. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2020

FINAL FINDINGS

Case No. (SSR 06/2019)

Subject : Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of 'Electronic Calculators' originating in or exported from China PR.

F. No. 7/15/2019-DGTR.—

A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules') thereof;

1. The Designated Authority (hereinafter also referred as the 'Authority') initiated anti-dumping investigation on imports of "Electronic Calculators" (hereinafter also referred as the 'subject goods' or 'product under consideration' or 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred as the 'subject country') vide notification No. 14/9/2013-DGAD dated 18th October 2013. The Authority thereafter notified the Final Findings No 14/9/2013-DGAD dated 13th April 2015, recommending imposition of anti-dumping duty against imports of the subject goods from China PR. Definitive anti-dumping duty was imposed by Ministry of Finance vide Customs Notification No. 24/2015-Customs (ADD) dated 29th May 2015 for 5 years and the same is in force till 28th May, 2020.

2. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

> *"...any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."*

3. M/s. Ajanta LLP (formerly known as M/s. Ajanta Private Limited) (hereinafter referred to as 'Applicant' or 'Domestic Industry' or 'DI') filed a duly substantiated application on behalf of the domestic industry before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the present anti-dumping duties, applicable on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, for another five years.

4. Based on the application filed by the Applicant, the Authority initiated sunset review investigation *vide* Notification No. 7/15/2019-DGTR dated 24th September 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of present duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

5. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No. 14/19/2013-DGAD dated 13 April 2015 which had recommended for imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

6. The procedure, as described herein below, has been followed:

a. The Authority notified the Government of the subject country through their Embassy in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the present investigation, in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

b. The Authority *vide* Notification No. 7/15/2019-DGTR dated 24th September 2019 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject country.

c. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and users association of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application filed by the Applicant to the known exporters and the Embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters of subject goods in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

(i) Casio Group

(ii) Ningbo Group

(iii) Fujian Group

(iv) Dongguan KTL and Casine Electronic Technology Co. Ltd.

f. M/s. Ningbo Deli Imp & Exp Co., Ltd., M/s. Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd. and M/s. Ningbo Deli Group Co., Ltd. ("Ningbo group") from China PR have participated and filed the questionnaire response before the Authority.

g. Questionnaire were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

(i) M/s. Addict Cloths

(ii) M/s. Classic System

(iii) M/s. Casio India Co. Private Limited

(iv) M/s. Hi Zoom Enterprises

(v) M/s. Mayuresh Industries

(vi) M/s. Marine Traders

(vii) M/s. Rotomac Global Pvt. Ltd.

(viii) M/s. Unitech Media

(ix) M/s. Yasraz International

h. No importer/user has filed Questionnaire response in the present investigation. However, M/s. Mayuresh Industries has made submissions during the course of the investigation that it has not imported the PUC.

i. M/s Cenzer Industries Ltd. has made submission during the course of the investigation it has stopped production or sale of calculators from 2014.

j. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties. Whenever they requested inspection of public file and copies of the documents therefrom were provided with the same.

k. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted after due examination and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the confidential information, which was made available through public file.

l. Further information was sought from the Applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.

m. Investigation was conducted on for the period 1st April 2018–31st March 2019 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or 'POI') with injury analysis covering the period April 2015 – March 2016, April 2016 – March 2017, April 2017 – March 2018 and the POI.

n. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs were requested to provide details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and DG Systems and has been adopted for the purpose of the present investigation.

o. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 9th January 2020 which was attended by various parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions reproducing their views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.

q. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.

r. Comments from interested parties were invited on the proposed PCN methodology vide letter dated 18th October, 2019. Since no comments have been received from any of the stakeholders in the subject investigation, the Authority finalised the PCN methodology for the subject goods vide communication dated 4th November 2019.

s. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present Final Findings was issued to the interested parties on 06.03.2020. The post Disclosure Statement submissions received from the domestic industry have been considered, to the extent found relevant, in these Final Findings.

t. '***' in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

u. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority for the subject investigation as 1 US$ = Rs.70.70.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the Domestic industry

7. The views of the domestic industry are as follows:

a. The PUC for the purpose of the present investigation is the same as in the original investigation, i.e. 'Electronic Calculators'. The PUC is classified under tariff item 84701000 of the Customs Tariff Act, 1975. The custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

b. The PUC is electronic calculator. An electronic calculator is a small and portable electronic device used for performing arithmetic operations and certain other mathematical functions. Simple numeric operations include basic arithmetic such as addition, subtraction, multiplication and division. Complex mathematical functions include exponential operations, roots, logarithms, trigonometric functions, and hyperbolic functions, etc.

c. Brief description of different types of calculators is given below.

i **Basic/Pocket/Desktop Calculators:** These types of calculators are used to perform simple operations like addition, subtraction, multiplication, division and percentages etc. Standard features include 8 to 12-digit display, twin source of power (solar power and battery power) and plastic/rubber keys. The major drawback of these types of calculators is that users cannot review or correct the incorrectly entered numbers during calculation.

ii **Check & Correct Calculators**: In addition to the functions performed by the basic calculators, check & correct calculators also allow the users to modify, amend and delete particular numbers as per their requirement. Check function enables users to review values during calculations and helps to reduce calculation errors while performing big calculations.

iii **Scientific Calculators:** Scientific calculators are designed to calculate problems in science, engineering, statistics and mathematics. Compared to basic calculators with four or five functions, scientific calculators may contain 38 to 401 functions, depending upon the manufacturer and the model. However, scientific calculators normally have following features:

a) Two-line display

b) Scientific notation

c) Fractional operations and Binary calculations

d) Logarithmic functions

e) Trigonometric functions

f) E functions and roots beyond the square root

g) Hexadecimal, binary, and octal calculations, including basic Boolean math

h) Complex numbers

i) Statistics and probability calculations

j) Calculus

k) Conversion of units

l) Physical constants

Scientific calculators are used widely in any situation where quick access to certain mathematical functions is needed, like trigonometric functions. They are also used in fields requiring calculations of very large numbers in astronomy, physics and chemistry.

iv **Programmable Calculators:** Programmable calculators are basically high-end models of scientific calculators, which allow the users to write and store programs in the calculator in order to solve difficult problems or start an elaborate procedure. Apart from the basic functions performed by a scientific calculator, programmable calculator also has programming function. With programming function, a user may create, edit and store functions. Creation of programs help in simplifying a complex procedure, which otherwise may be too time consuming.

v **Printing Calculator:** Printing calculators come with a small attached printer with paper tape for taking print of calculations made. These calculators are mostly used in businesses, wherein large numbers are involved like computation of tax, calculating cost, selling price or margin of profits, etc. By taking a print, it is easier to track mathematical errors.

vi **Graphing Calculator:** Graphing calculators (also known as graphics / graphic calculator) typically refer to those calculators which are capable of plotting graphs and charts, solving simultaneous equations, performing basic as well as advanced statistical calculations, logical and matrix operations, permutations and combinations, financial operations, etc. Many of the graphing calculators are also programmable, which allow users to create customized programs. Due to their large displays intended for graphing, they can also accommodate several lines of text and calculations at a time. Some of the graphing calculators are also capable of generating color output, animated and interactive drawing of math plots (2D and 3D), other figures such as animated Geometry theorems, etc.

8. The PUC for the present investigation is "Electronic Calculators of all types", ***excluding*** the following:

i Calculators with attached printers, commonly referred to as ***printing calculators;***

ii Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as ***graphing calculators;*** *and*

iii ***Programmable calculators.***

C.2. Views of the other interested parties

No submission has been made by the exporters/other interested parties with regard to scope of the product under consideration (PUC) and like article.

C.3. Examination by the Authority

9. The PUC in the present sunset review investigation is "Electronic Calculators of all types" excluding (a) Calculators with attached printers, commonly referred to as printing calculators (b) Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as graphing calculators (c) Programmable calculators.

10. This being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as that in the original investigation. The PUC in the original investigation was:

> "Electronic Calculators of all types, excluding, (a) Calculators with attached printers, commonly referred to as printing calculators (b) Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as graphing calculators (c) Programmable calculators are excluded from the scope of present investigation."

11. Product Control Number (PCN) system has also been developed to have appropriate comparison for dumping margin and injury margin determination. The following is the PCN methodology adopted and finalized on 4 November 2019:

S.No.	Field description	Explanation
1.	Type	This refers to class to which calculator belongs: S: Scientific N: Non- Scientific
2.	Check & Correct function	This field represents the function of Check & Correct in the calculator: 0: No Check & Correct 1: Check & Correct present
3.	No of Digits in Display	This field represents the number of digits in calculator (more than/equal to 12 or less than 12) Less than 12 digits: L Equal to and more than 12 digits: M
4.	Solar Power	This field represents whether the calculator also has solar power energy: A: No Solar power B: Solar power is present

5.	Size of Calculator	Pocket or Others Dimension of Pocket Size: Not exceeding 170mm X 100mm X 45mm Pocket Size: P Others: O

12. Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.

13. From the above definition of the term "like article", it is clear that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall also include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation in the absence of articles identical or alike in all respects.

14. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian domestic industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers also use the two interchangeably. The Authority holds that the product manufactured by the Applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country.

15. It is noted that HS code for the product concerned is 84701000. However, the PUC is also being imported under other HS codes falling under Tariff Heading 8470. Therefore, for the purpose of analysis of import data, the Applicant has obtained transaction-wise DGCI&S and DG Systems import data for the Heading 8470. Thereafter, the Applicant has sorted the import data for PUC by examining the description for each line item given in the DGCI&S and DG Systems import data. The Authority has cross verified the sorting of import data done by the Applicant. It is noted that no non-PUC product under tariff heading 8470 has been considered or included in the sorted import data for PUC in the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of the Domestic industry

16. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:

a) The present application has been filed by M/s. Ajanta LLP. The Applicant is neither related to an importer in India nor an exporter from the subject country. The Applicant has also not imported the product under consideration from the subject country. The Applicant holds a major proportion of total domestic production of subject goods in India. The Applicant, therefore, satisfies the requirement of standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

b) The production figures of other Indian producers are based on market intelligence. To the best of the knowledge of the Applicant, the production figures of the other producers are representative and any deviation with actual figures will, in fact, reveal that their actual production is lower as the Applicant has considered a conservative estimate.

c) There was one other known producer of the subject goods in India i.e. M/s. Cenzer Industries Ltd, whose estimated production based on market intelligence during the POI is *** Pieces (*** of total Indian production).

D.2. Views of the other interested parties

17. M/s. Cenzer Industries Ltd. has filed a submission stating that they have stopped production and sale of product under consideration from 2014 onwards.

D.3. Examination of the Authority

18. Rule 2 (b) of the Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

19. The present sunset review application has been filed by M/s. Ajanta LLP. The Applicant is neither related to an importer in India nor any exporter from the subject country. Further, the Applicant has not imported the subject goods during the POI. Applicant had initially submitted that as per market intelligence there is one other known producer of the subject goods in India i.e. M/s. Cenzer Industries Ltd. However, M/s. Cenzer Industries Ltd. vide its letter dated 10th October 2019 has submitted that they have stopped producing the subject goods from 2014. Thus, Applicant is the sole producer of the subject goods in India during the POI.

20. In view of the above, the Authority holds that the Applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

E. CONFIDENTIALITY AND OTHER ISSUES

E.1 Submissions made by domestic industry

21. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality and other issues:

a. Applicant is the sole producer in the POI and, thus, its information, even in terms of volume parameters such as production, sales, etc. has not been disclosed as the same is not in public domain. Disclosure of such highly business sensitive information, would be of significant competitive advantage to competitors and consumers and would seriously impact the interest of Applicant. The Applicant has, however, provided indexed information wherever possible.

b. Applicant has provided sufficient information justifying initiation of the investigation. Applicant has provided all information as required under the application proforma. As regards failure of evaluation of certain parameters in the write up, the Applicant submits that it is not necessary for the Applicant to evaluate all the parameters in the application. The Applicant is obliged to provide all relevant information, which it has done.

c. DGCI&S data is confidential data and therefore cannot be circulated. The interested parties are free to collect transaction-wise data from DGCI&S if they so desire. Reference is made to the trade notice F. No. 4/2/2017 dated 8th December 2017.

d. Ningbo Group committed gross breach of the guidelines issued by the Authority with reference to confidentiality information vide Trade Notice No. 10/2018. The Applicant has filed detailed submissions before the Authority vide letter dated 3rd January 2020 highlighting the said deficiencies.

e. The Applicant submitted that it has provided the data in indexed form in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018.

f. Indexed information has been provided wherever possible. The injury analysis is essentially an analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.

E.2 Views of the other interested parties

22. The following submissions were made by Ningbo Group with regard to confidentiality and other issues:

a. The non-confidential version of the application does not allow for a reasonable understanding of the allegations and clearly violates the requirements specified in rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the Authority. This prevents a reasonable understanding of the allegations contained in the Application or exercise the party's right to defense.

b. The Applicant has relied on China Electronic Calculator Market Survey & Investment Prospect Forecast Report to report trends and production capacity available in China PR. However, the documents are kept confidential on the ground that it constitutes business proprietary/ sensitive information, not amendable to summarization. In the absence of such data, the interested parties unable are to comment on the same.

c. The Applicant has disclosed actual figures of the capacity utilization in the original investigation, but withheld the same in the present investigation.

d. In the present investigation, the Authority clearly specified a PCN methodology via Notification No. 7/15/2019 dated 4th Nov 2019 but the Applicant, while providing information for price undercutting & price underselling, has not prepared or revised it as per the methodology.

e. Excessive confidentiality is claimed by the Applicant by not providing the actual figures of No. of Employees & Productivity per day.

E.3 Examination by the Authority

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

> *"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
>
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

24. Non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties through the public file as per Rule 6(7).

25. With regard to the confidentiality of information, the Authority notes that the information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Normal Value

26. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.2 Views of the Domestic industry

27. The following are the submissions made by the Applicant in respect of normal value:

a. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

b. Paragraph 1 to 6 of Annexure I of the Rules do not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of paragraph 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 of Annexure I of the Rules provides that the calculation of the normal value in a non-market economy may be determined on the following basis:

i. the price in a market economy third country;

ii. constructed cost in a market economy third country;

iii. the price from such a third country to other countries, including India;

iv. the price actually paid in India, adjusted to include a reasonable amount of profit.

c. The Applicant has determined normal value of subject goods based on constructed cost of production of the subject goods in India with addition of administrative & selling expenses and a reasonable amount of profit.

F.3 Submissions made by Ningbo Group

28. The following submission were made by Ningbo group with respect to the normal value:

a. Applicant has treated China PR as a non-market economy which is fallacious in the light of expiration of Protocol on China's accession to the WTO since 11th December 2016.

b. Authority should grant "market economy status" to China PR based on the development of market economy and conduct normal value calculation in accordance with Article 2 of the WTO Anti-dumping Agreement.

F.4 Examination by the Authority

Market Economy status for Chinese producers

29. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

30. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since neither of the responding producer and the exporter from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

31. Accordingly, the normal value and export price for the all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

F.5 Determination of Normal Value

32. As none of the producers from China PR have filed the Supplementary Questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "any other reasonable basis".

33. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses an addition of reasonable profits. Accordingly, the weighted average constructed normal value for Chinese producers/exporters is determined US$ *** per piece.

F.5 Determination of Export Price

a) Ningbo Group

34. The Authority notes that Ningbo Deli IMP. & EXP. Co., Ltd. China PR, is the company from China PR which has exported subject goods to India sourced from Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd., the producer of the subject goods and both the exporter and producer have filed exporters' questionnaire responses in the present investigation.

35. The Authority notes that Ningbo Deli IMP. & EXP. Co., Ltd. China PR, has responded in the form and manner prescribed and has furnished the requisite information to determine the net export price. The Authority notes from the Exporter's Questionnaire response filed by the concerned producer/exporter that it had reported 27 transactions involving export of *** pieces of the subject goods to India during POI at an average CIF price of US$ *** per piece. The Authority made adjustments on account of inland freight, handling charges, ocean freight, insurance, cash credit, bank charges and SGA of traders as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd and Ningbo Deli IMP. & EXP. Co., Ltd. China PR, has been determined as US$ *** per piece.

b) Non-cooperative producer/exporter

36. The Authority notes that for all the non-cooperative producers/exporters in China, the Authority has determined the net export price on the basis of facts available.

37. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from China PR has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:-

Dumping Margin Table

S.N.	Country	Producer	Constructed Normal Value (US$/Piece)	Export price (US$/Piece)	Dumping Margin (US$/Piece)	Dumping Margin %	DM Range %
1	China PR	Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
2	China PR	Any	***	***	***	***	20-40

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

38. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles*....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

39. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a sunset review.

40. The Authority notes that the application for continuation of antidumping duty has been filed by M/s. Ajanta LLP. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicant has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of injury determination the cost and injury information of the Applicant has been examined.

G.1 Submissions made by the Domestic Industry

41. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

a. There is significant price undercutting/underselling due to low priced dumped imports coming into India. There is significant price suppression due to low priced dumped imports coming into India.

b. The Domestic Industry's profitability has been drastically affected. From total domestic profit of 100 indexed units in 2015-16, profits have reduced significantly to (347) indexed units in the POI.

c. From cash profit of 138 indexed units in 2016-17, cash profits have reduced significantly to (23) indexed units in the POI.

d. The return on capital employed (ROCE) of the domestic industry has declined significantly from 100 indexed units in 2015-16 to (79) indexed units during the POI.

e. The inventory of the domestic industry has increased significantly from 100 indexed units in 2015-16 to 605 indexed units during POI, despite a reduction in production.

f. Prices of imports have declined sharply without corresponding decline in costs.

g. Prices of imports have remained below not only selling price but also cost of sales. The gap between price of imports and cost of sales is increasing throughout the injury period

h. Domestic Industry has significant unutilised capacity.

i. The dumping margin and the injury margin from the subject country is not only more than *de minimis* but also very substantial. The impact of dumping on the domestic industry is very significant.

G.2 Submissions made by Ningbo Group

42. Ningbo Group has made the following submissions with regard to the injury and causal link claims of the domestic industry and on the issue of likelihood of continuation or recurrence of injury:

a. Overall performance of the Applicant is improving and injury caused to the domestic industry cannot be attributed to the imports from the subject country.

b. Domestic sale of the Applicant have increased significantly from 100 indexed points in 2015-16 to 129 indexed points during the POI. On the contrary, demand for subject goods in India has declined from 100 indexed points to 86 indexed points in the POI.

c. Imports from China PR have also decreased tremendously from 100 indexed points in the base year to 9 indexed points in the POI.

d. Under Article 5.3 of the Agreement on implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, the demonstration of causal relationship between the dumped imports and injury shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The Applicant has failed to address a number of crucial issues which had an effect on the domestic industry independently.

e. Reliance is placed on the findings in the case of Nylon Filament Yarn, Dry Cell Batteries & Viscose Filament Yarn originating in or exported from China PR.

G.3 Examination by the Authority

43. Rule read with Annexure II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

44. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…."*. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

45. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under:

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

46. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has taken note of the submissions made by domestic industry and Ningbo Group and has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.

47. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury or not. The Authority has examined the injury parameters taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry as under:

I. ASSESSMENT OF DEMAND

48. For this purpose, demand or apparent consumption of the product in India is taken as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. Share of imports from the subject country in demand/consumption in India determined by the Authority is as under:

Particulars	**Unit**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**POI**
Imports from China PR	Pieces	40,83,861	2,48,761	10,09,951	3,77,647
Trend	Indexed	100	6	25	9
Imports from Other Countries	Pieces	5,932,195	5,949,865	7,166,231	7,191,013
Trend	Indexed	100	100	121	121
Total Imports	Pieces	1,00,16,056	61,98,626	81,76,182	75,68,660
Trend	Indexed	100	62	82	76
Domestic Sales of Applicant	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	121	129
Total Demand	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	74	89	85
Market Share					
Share of Domestic Industry %	%	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	178	139	156
Share of Imports from China PR	%	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	9	27	12
Share of Other countries	%	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	135	138	144

II. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS

i. Import Volumes and Share of Subject Country

49. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods from the subject country and other countries based on the transaction-wise import data provided by DGCI&S. The import volumes of the subject goods and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	**Unit**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**POI**
Imports from China PR	Pieces	40,83,861	2,48,761	10,09,951	3,77,647
Trend	Indexed	100	6	25	9
Imports from Other Countries	Pieces	5,932,195	5,949,865	7,166,231	7,191,013
Trend	Indexed	100	100	121	121
Total Imports	Pieces	**10,016,056**	**6,198,626**	**8,176,182**	**7,568,660**
Trend	Indexed	100	62	82	76
Subject country imports in relation to total imports	Pieces	41%	4%	12%	5%

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Trend	Indexed	100	10	30	12
Total Indian Production	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	163	117	112
Imports from China PR relative to production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	4	21	8
Demand	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	74	89	85
Imports from China PR relative to demand in India	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	8	28	11

50. It is noted that imports of PUC from the subject country have reduced in absolute terms and relative terms after imposition of anti-dumping duty.

III. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

51. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i.**Price Undercutting**

52. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject country and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Import Volume	Pieces	4,083,861	248,761	1,009,951	377,647
Trend	Indexed	100	6	25	9
Landed Price	Rs./Piece	56	192	133	78
Trend	Indexed	100	342	237	139
Domestic Sales Price excluding Freight	Rs./Piece	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	76	75
Price Undercutting	Rs./Piece	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(108)	(58)	21
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	Range	110-120	(30-40)	(30-40)	10-20

53. The Authority notes that imports of the subject goods from China PR are significantly undercutting domestic selling prices of the like article in India during the POI. Due to such significant price undercutting, the domestic industry is unable to increase its selling prices so as to recover its cost and earn a reasonable rate of return.

ii. Price Underselling

54. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the NIP determined based on average NIP for the domestic industry has been compared with the landed price of imports as obtained from the DGCI&S import data. Comparison of the NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Particulars	**UOM**	**Based on Average NIP**
Imports	Pieces	377647
Landed Price	Rs/Piece	78
NIP	Rs/Piece	***
Injury Margin	Rs/Piece	***
Injury Margin	%	***
Trend	Range	40-60

55. It is noted that the landed price of imports was much below the non-injurious price of the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has suffered price underselling during POI due to dumped imports of the subject goods from the subject country.

iii. Price Suppression and Depression

56. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has considered the changes in the costs and prices and landed value over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	**Unit**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**POI**
Cost to make and sell	Rs. /Piece	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	87	94
Domestic Selling Price	Rs. /Piece	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	76	75
Landed Value	Rs./Piece	56	192	133	78
Trend	Indexed	100	342	237	139

57. The following points are noted from the above table:

a. The imports from subject country are coming at prices substantially lower than the cost of sales of the Domestic Industry. As a result, the dumped imports are not allowing the domestic industry to fetch a selling price which would re-cover its full cost and reasonable profit margin.

b. Cost to make and sell has decreased by 6 indexed points during POI as compared to the base year whereas domestic selling price has decreased substantially by 25 indexed points during the same period.

G.4 Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

58. Annexure II to the Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. An examination of the performance of the domestic industry indicates that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

59. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Capacity	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	163	117	112
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	163	117	112
Domestic Sales	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	121	129

60. It is noted that significant portion of the capacity available with domestic industry is un-utilized.

b) Profits, Return On Capital Employed and Cash Profit

61. The cost of sales, selling price, profit/ loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Profit/(Loss)	Rs/Piece	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	78	(22)	(90)
Profit/(Loss)	Rs Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	102	(27)	(116)
PBIT	Rs Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	107	(22)	(105)
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	138	32	(23)
ROI	%	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	89	(19)	(79)

62. The Authority notes that the domestic industry has suffered adversely in terms of profit, profit before interest, cash profits and return on capital employed.

c) Market Share in Demand

63. The effects of the dumped imports on the market has been examined as below:

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	178	139	156
Imports from Subject Country	%	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	9	27	12
Imports from Other Countries	%	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	135	138	144

64. The Authority notes that the market share of the domestic industry improved in 2016-17 and thereafter declined in 2017-18 before again improving marginally in POI.

d) Employment, Wages and Productivity

65. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Employee	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	86	119
Production/Employee	Per Employee	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	135	94
Production	Per Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	163	117	112

66. The Authority notes that the employment of the domestic industry improved in 2016-17 and thereafter declined in 2017-18 but marginally improved in POI. Productivity per employee has declined in the POI.

e) Inventory

67. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Opening Stock	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	957	839
Closing Stock	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,002	879	361
Average Stock	Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	538	919	605

68. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry have increased during the POI as compared to the base year.

f) Magnitude of Dumping

69. It is noted that imports from the subject country are entering India dumped prices at dumped prices and the margin of dumping is above *de minimis* limits and significant.

g) Ability to raise capital investment

70. It is seen that the domestic industry's capacity is largely un-utilized, and the industry is suffering losses. Thus, the ability to raise capital investment in such a situation has weakened.

h) Growth

71. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

Growth	Unit	2015-16	2016-17	2018-19	POI
Production	Y/Y %	-	63	(28)	(4)
Domestic Sales	Y/Y %	-	31	(8)	7
Cost of sales	Y/Y %	-	(2)	(11)	8
Selling price	Y/Y %	-	(5)	(21)	(1)
Profit/Loss	Y/Y %	-	2	(126)	(337)
ROI	Y/Y %	-	(1)	(7)	(4)
Cash Profit	Y/Y %	-	38	(77)	(171)

72. The Authority notes that most of the major economic parameters show a significant deterioration because of the imports of the subject goods from subject country and other countries such as Malaysia.

i) Factors Affecting Domestic Prices

73. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry causing price undercutting, and price underselling in the Indian market. The Authority notes that the prices of the product under consideration in general should move in tandem with the prices of key raw materials and the domestic industry has been fixing its prices considering these input prices and landed price of imports. Thus, the landed value of subject goods from the subject country is an important factor for determination of domestic prices.

H. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

74. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The weighted average NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive the NIP as prescribed in Annexure III and being followed.

75. For all the non-cooperative producers/exporters from China PR, the Authority has determined the landed price based on facts available.

76. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters from China PR has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:-

Injury Margin Table

S. No.	Country	Producer	NIP- US$ / Piece	Landed Value US$/ Piece	Injury Margin US$/ Piece	Injury Margin %	Injury Margin Range- %
1	China PR	Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
2	China PR	Any	***	***	***	***	20-40

I. CONCLUSION ON INJURY

77. The Authority notes that the dumped imports of the subject goods from the subject country continue to be significant even after imposition of definitive anti-dumping duty on subject imports. Imports of the product are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Further, while the cost of production had decreased over the injury period, the decrease in selling price is more as compared to cost of production. The imports are, thus, suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports.

78. The Authority notes that the domestic industry has suffered injury on account of volume as well as price effect of imports, as a result of which the profitability of the domestic industry has declined. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits turned negative in POI. Thus, growth in respect of most of the parameters such as profits, cash profits, return on capital employed, inventory etc. shows an adverse impact on the domestic industry. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury on account of continuation of dumping of subject goods from subject country.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

J.1 Submissions made by domestic industry

79. The Applicant has submitted that there is a clear likelihood of the continued dumping being further intensified by exporters from China PR leading to a situation of further intensified injury to the domestic industry, if the existing duty is withdrawn, as shown below.

a. **Continued dumping even after imposition of AD Duty**

80. It is submitted that the dumped imports continue to come from China PR despite imposition of anti-dumping duty. If the duty is withdrawn, there is a strong likelihood of an increased volume of dumped imports coming into India from China PR. It is further submitted that the imports coming into India from China PR are above *de minimis* level and dumping margin is quite significant.

b. **Domestic industry has been forced to match the import prices and accordingly sell at prices below cost**

81. It is submitted that the domestic industry has continued to suffer injury despite imposition of anti-dumping duty. The domestic industry has been forced to sell the like article at prices offered by the exporters from subject country in order to maintain its market share. The domestic industry is unable to optimally utilize its production capacity due to the presence of dumped imports from China PR.

82. Despite imposition of anti-dumping duty, the Applicant has not been able to maintain consistent profitability. The fact that the Applicant has been suffering injury despite imposition of anti-dumping duty clearly shows that the injury will continue and is likely to increase in the event of withdrawal of anti-dumping duty.

c. Huge capacities with producers in China PR

83. The Applicant has obtained China Electronic Calculator Market Survey and Investment Prospect Forecast Report conducted by Beijing Zhongzhilin Information Technology Co Ltd. It can be seen from this report that China PR has huge production capacity available for production of subject goods. These capacities are far higher than the total consumption in China PR. The capacity available with China PR is given below.

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacity	Million Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	106	108

d. Idle capacity and decline in capacity utilization in China PR

84. The details of capacity, production, capacity utilization and idle capacity as extracted from market survey report on calculators are given below.

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacity	Million Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	106	108
Production	Million Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	102	106
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	96	98
Idle Capacity	Million Pieces	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	140	133	127

85. It can be observed from the above table that Chinese calculator industry has huge idle capacity available with them which can be utilized to increase their exports to India if the Authority withdraws the anti-dumping duty in force.

86. It can be observed from the table given below that China PR had 3800% idle capacity (in 2018) in comparison to total Indian production. China PR had 905% idle capacity (in 2018) in comparison to total Indian demand. Production from this idle capacity can easily be exported to India in the event of withdrawal of duty.

Particulars	UOM	Value
Idle Capacity	Million Pieces	***
Total Indian Production	Million Pieces	***
Total Indian Demand	Million Pieces	***
Chinese Idle Capacity as % of Total Indian Production	Range	3500-4500%
Chinese Idle Capacity as % of Total Indian Demand	Range	500-1000%

e. Decline in exports

87. As per China Electronic Calculator Market Survey and Investment Prospect Forecast Report available with the Applicant and information available in public domain, the exports of subject goods from China PR to other countries have declined from *** million in 2014 to *** million in 2019. In such a scenario, producers in China PR have to look for alternative markets to dispose of their excess production. India would be a natural choice for Chinese producers as demand in India would remain strong in near future. Therefore, there is a strong likelihood that Chinese producers would reduce their prices further to sell-off their excess production causing injury to domestic industry in India in the event of withdrawal of anti-dumping duty.

J.2 Submissions made by Ningbo Group

88. The Applicant has claimed that Chinese calculator industry has an idle capacity of 127 indexed points and capacity utilization of 98 indexed points which would indicate that in the event of withdrawal of duty, the exports from China PR would increase. The Application further mentions that in case of such excess capacity, China PR shall look for alternative markets and India would be a natural choice which can cause injury to the domestic industry in India. Ningbo refuted these claims as baseless & unsubstantiated and submitted that their capacity utilization is 83%.

89. The producers/exporters are exporting subject goods to 3rd countries at a price of 150 indexed points as opposed to 100 indexed points to India. Thus, there is no possibility to shift exports to India.

90. Information provided is manifestly insufficient to justify the initiation of an investigation under Rule 5(3) of the Rules. The evidence presented must be of an adequate quality to constitute "sufficient evidence". Reliance has been placed on ruling of the WTO Panel in the United States-Softwood Lumber from Canada; Guatemala-Cement II and Mexico-Steel Pipes and Tubes. The Applicant failed to evaluate some of the relevant economic factors and indices listed in Rule 11 of the Rules & para IV of Annexure II thereof.

J.3 Examination by Authority

91. All the factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and or injury.

92. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties earlier imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration for assessing threat of material injury. The same factors have been consistently considered by the Authority while assessing likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

d) Inventories of the article being investigated.

93. In this regard, it is noted that the dumping of subject goods continues from China PR into India despite imposition of anti-dumping duty.

94. The Authority notes that at the current landed price in India, there is positive price undercutting during POI and imports are causing price suppression and depression for the domestic industry.

95. The Authority notes that China PR has huge production capacity available for production of subject goods. Chinese calculator industry has huge idle capacity available with them which can be utilized to increase their exports to India.

96. The likelihood analysis demonstrates that exporters from the subject country are exporting the subject goods at dumped prices. In the original investigation as well, the dumping margin was quite significant. Hence, considering all the factors, the Authority has reason to believe that dumping will intensify if the existing duty is revoked.

J.4 Other Known Factors & Causal Link

97. The Authority has noted other factors listed under the Rules, which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

a) Volume and price of imports from third countries

98. The Authority notes that significant volume of imports of PUC are coming into India from Malaysia, Philippines and Thailand. The Authority has concluded a parallel anti-dumping investigation concerning dumped imports of subject goods from Malaysia and has recommended for imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from Malaysia. The import prices from Philippines and Thailand are significantly higher than the import prices from Malaysia and China PR. Thus, it cannot be said that imports from countries other than China PR and Malaysia are causing injury to the domestic industry.

b) Export Performance

99. The claimed injury to the Domestic Industry is solely on account of domestic operations and there is no impact of exports on the injury suffered by the domestic industry.

c) Technology

100. The technology as also the production process for producing Electronic Calculators has not undergone any significant development. Possible development in technology is not a cause of injury to the domestic industry.

d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

101. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e) Changes in pattern of consumption

102. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

f) Performance of the domestic industry with respect to other products

103. Performance of other products being produced and sold by the Applicant is not a possible cause of injury to the domestic industry as the information on performance furnished by the Applicant relates to product under consideration only.

K. Conclusion on causal link

104. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has deteriorated due to continuation of dumped imports from subject country. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

i. Price undercutting being caused by the dumped imports has prevented the increase in prices of the domestic industry, which otherwise would have happened.

ii. The price suppression effect of dumped imports from subject country has resulted in significant erosion in profitability of the domestic industry.

iii. The domestic industry has been prevented from increasing its production, capacity utilization and market share despite existence of significant demand and capacities in the country.

iv. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly as a result of dumped imports.

v. The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of economic parameters like selling price, profitability, cash profit and return on capital employed.

L. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

105. The post disclosure submissions have been received only from the domestic industry.

L.1. Submissions by Domestic Industry

106. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as follows:-

a. Domestic Industry has requested the Authority to confirm its proposals made in the disclosure statement regarding scope of product under consideration, standing of domestic industry, dumping analysis, injury analysis and likelihood of recurrence of dumping and injury analysis in the final findings.

L.2. Examination by the Authority

107. The Authority notes that the Domestic Industry has only requested the Authority to confirm its examination with regard to the scope of product under consideration, standing of domestic industry, dumping analysis, injury analysis and likelihood of recurrence of dumping and injury analysis in the final findings. The Authority has confirmed its examination regarding scope of product under consideration, standing of domestic industry, dumping analysis, injury analysis and likelihood of recurrence of dumping and injury analysis in the relevant paras above.

M. Indian Industry's interest & other issues

108. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

N. CONCLUSION

109. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in these final findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:

a. There is continued dumping of the subject goods from the subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty.

b. Dumped imports from China PR are causing injury to the Domestic Industry.

c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.

d. There is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry.

O. RECOMMENDATION

110. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, likelihood of dumping and injury and the causal link.

111. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal link, likelihood of dumping and injury, if the existing Anti-Dumping Duty is allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on subject goods from China PR.

112. Under these circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR. However, the Designated Authority does not recommend individual rate of duty to those foreign producers/exporters who had been granted an individual rate of duty in the original investigation but have not participated in the subject sunset review investigation. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods from the subject country as modified in the duty table below:

Duty Table

S. No.	Heading/Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	8470*	Electronic Calculators**	China PR	Any Country including China PR	Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd.	0.28	US$	Per Piece
2.	8470	Electronic Calculators	China PR	Any Country including China PR	Any other producer except Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd.	1.22	US$	Per Piece
3.	8470	Electronic Calculators	Any country other than China PR	China PR	Any	1.22	US$	Per Piece

*Custom classification is only indicative, and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

**Product under consideration is "Electronic Calculators of all types", excluding the following:
a. Calculators with attached printers, commonly referred to as *printing calculators*

b. Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as *graphing calculators*

c. *Programmable calculators*

P. FURTHER PROCEDURE

113. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.